सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

08 AGRAHAYAN, 1943 (S)

No. 601

RANCHI, MONDAY, 29th NOVEMBER, 2021

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

29th November, 2021

Notification No.- 11/2021 – State Tax(Rate)

S.O. No. 56, Dated 25th November, 2021--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No.39/2017-State Tax (Rate), dated the 24th October, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 111, dated the 24th October, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, -

(i) in column (3), for the entry, the entry "(a) Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government;

(b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government." shall be substituted;

(ii) in column (4), in the entry, for the words "food preparations" at both the places, where they occur, the word "goods" shall be substituted;

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of October, 2021.

[File. No. VaKar/GST/02/2020]

By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik,
Secretary,
Commercial taxes Department

Note: - The principal notification No. 39/2017- State Tax (Rate), dated the 24th October, 2017, was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 111, dated the 24th October, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं॰. 11/2021- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 56, दिनांक 25 नवम्बर, 2021 --झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, **वाणिज्य-कर विभाग** की अधिसूचना संख्या 39/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 24 अक्टूबर, 2017, जिसे **एस. ओ. सं.** 111, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के सामने,-

(i) कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदितकिसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नि: शुल्क वितरण के लिए आशयितऔर यूनिट अभिधानों में रखाखाद्य निर्मितियां;

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) कॉलम (4) में, प्रविष्टिमें, "खाद्य निर्मितियों" शब्द के लिए,दोनों जगहों पर जहां वे हैं,"माल" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/02/2020]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

आराधना पटनायक,
सचिव,
वाणिजय-कर विभाग।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 39/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 24 अक्टूबर, 2017, को **एस. ओ. सं.** 111, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 601-- 50